



क्रमांक: जविप्रा/उपा./जोन-13/2023/डी-997

दिनांक 10/5/23

अधिसूचना


जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 की धारा 25 की उपधारा 3 के अनुसरण में मारटर विकास योजना-2011 जयपुर क्षेत्र के भू-उपयोग में निम्नलिखित विवरण के अनुसार उपान्तरण हेतु दिनांक 21.10.2022 एवं 11.01.2023 के द्वारा आपति/सुझाव आमंत्रित किये गये थे, 15 दिवस की नियत अवधि में कोई आपति प्राप्त नहीं हुई है। प्रकरण को जविप्रा स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति की 15वीं बैठक दिनांक 10.11.2022 में रखकर राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया, जिसके क्रम में प्रकरण राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति की 173वीं बैठक दिनांक 24.02.2023 में प्रस्तुत किया गया एवं लिये गये निर्णय पर राज्य सरकार द्वारा दिनांक 14.03.2023 को स्वीकृति प्रदान की गई है।

मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांक टीपीआर 1120/एसएलसी/ज.वि.प्रा. जयपुर/01/2023/2075 दिनांक 21.03.2023 द्वारा प्रस्तावित भू-उपयोग उपान्तरण पत्र में उल्लेखित शर्तों के आधार पर करने की स्वीकृति दिये जाने के फलस्वरूप जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 की उपधारा 25(1) के अनुसरण में निम्न उपान्तरण किया जाता है :-

उपान्तरण

जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में स्थित राजरव ग्राम-गुनावता, तहसील आमेर के ख. नं. 40, रकबा 1.00 है., 41 रकबा 0.24 है., 45 रकबा 0.15 है., 45 रकबा 0.36 है., 49 रकबा 0.78 है., 44 रकबा 0.05 है., 47 रकबा 0.44 है., 48 रकबा 0.26 है., 52 रकबा 0.17 है., 55 रकबा 0.22 है., 56 रकबा 0.13 है., कुल किता 11 कुल रकबा 3.80 है. (क्षेत्रफल 37987.70 व.मी.) मोटल भूखण्ड का मोटल प्रयोजनार्थ से रिसोर्ट प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किया जाता है।


यह विज्ञापित आज दिनांक 10/5/23 को जारी की गई। उक्त अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक एवं दो राज्य स्तरीय प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित होने के पश्चात ही मान्य होगी।


(बाबू लाल गोयल)
सचिव
जविप्रा, जयपुर।



प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शारान सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान प्रदूषण मण्डल, जयपुर।
5. निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
6. निजी सचिव, आयुक्त, नगर निगम, जयपुर।
7. संयुक्त शारान सचिव-तृतीय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. निदेशक (अभियांत्रिकी/आयोजना/वित्त/विधि/परियोजना), जविप्रा, जयपुर।
9. अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व/पश्चिम/भूमि/एल.पी.सी.), जविप्रा, जयपुर।
10. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (मा.प्लान), जविप्रा, जयपुर।
11. वरिष्ठ नगर नियोजक बीपीसी (बी.पी.), जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि भूखण्ड पर देय पैरामीटर्स प्रचलित भवन विनियम अनुसार रखते हुए भवन मानचित्र अनुमोदन करने की कार्यवाही करें।
12. तहसील-आमेर, जयपुर।
13. मैसर्स रीयलवर्थ होटल एण्ड रिसोर्ट्स प्रा.लि. जरिये निदेशक श्री अनिल कुमार गुप्ता, पंजीकृत कार्यालय-6 डी, कॉरपोरेट टावर, ए-2, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जवाहर सर्किल के पास, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त अधिसूचना का प्रकाशन राजस्थान राजपत्र एवं दो राज्य स्तरीय प्रमुख समाचार पत्रों में करवाकर प्रति अवश्य उपलब्ध करावें।
14. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर को जविप्रा वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।
15. नोटिस बोर्ड।


उपायुक्त-जैन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।